संख्या-217/2018/2460/22-2-2017-17(279)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुरलीधर उर्फ मूलचन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद, निवासी जनपद-महोबा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33906/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 14.09.2017) दिनांक-18.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुरलीधर उर्फ मूलचन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद, जो भडवारा, थाना-महोबकण्ठ, जनपद-महोबा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 09-05-1977 को लगभग 05:30 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बेल नदिया के पास श्रीमती पूर्निया के गहने लूट लिए तथा मुल्लू के विरोध करने पर तमंचे से फायर करते हुए लाठी व चाकू से वार कर मुल्लू की हत्या कर दी तथा रामलाल को घायल कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-105/1978 में भा0द0वि0 की धारा-395/397, 302, 25(1)(ए) के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 10.09.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.1993 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.08.2017 तक 21 वर्ष 10 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 02 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा दिनांक 09-05-**1977** को लगभग 05:30 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बेल नदिया के पास श्रीमती पूर्निया के गहने लूट लिए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा मुल्लू के विरोध करने पर तमंचे से फायर करते हुए लाठी व चाकू से वार कर मुल्लू की हत्या कर दी तथा रामलाल को घायल कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुरलीधर उर्फ मूलचन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी मुरलीधर उर्फ मूलचन्द्र (बन्दी संख्या-1325/95) पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद, निवासी जनपद-महोबा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-217/2018/2460/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in